चेक लिस्ट संख्या 16 – वे परिस्थितियाँ जब DG (महानिदेशक) की भागीदारी होती है

क्रम संख्या	जब DG की भागीदारी आवश्यक हो	
1	जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, युद्ध / बाह्य आक्रमण का खतरा हो और आपातकाल घोषित हो चुका हो, उस समय भारतीय जहाज या उसमें किसी भी हिस्से/हित की खरीद-बिक्री तभी संभव है जब भारत सरकार इसकी अनुमति दे।	
2	नाम, आधिकारिक नंबर, कॉल साइन और MMSI नंबर के आवंटन हेतु आवेदन। यदि पुनः-पंजीकरण हो रहा हो तो कॉल साइन के लिए IMO नंबर सहित पिछले रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति के साथ आवेदन आवश्यक।	
3	COC / एक्सटेंशन / छूट आदि के लिए, जैसा कि DGS सर्कुलर संख्या 2/2008 में निर्दिष्ट है – जब इसे जारी या सुधारित किया गया हो, तो यह IRS द्वारा किया जाएगा।	
4	यदि पोत भारत में निर्मित हो और IACS क्लास द्वारा ITC नहीं मिला हो, तो टन भार की स्वीकृति IRS द्वारा दी जानी चाहिए।	
5	अस्थायी पास जारी करने के लिए रजिस्ट्रार को DGS से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।	
6	जब स्थानांतरण ऐसे समय पर किया जाए जब देश की सुरक्षा को खतरा हो और आपातकाल घोषित हो, तो DGS से अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसी किसी भी कार्रवाई को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शून्य और अमान्य माना जाएगा।	
7	ऐसे समय में, आवेदक को प्रस्तावित हस्तांतरण के बारे में DGS को सूचना देकर स्वीकृति लेनी होगी।	
8	जब पंजीकृत स्वामी की मृत्यु / दिवालियापन या अन्य वैध साधन द्वारा स्वामित्व स्थानांतरित हो और उस आधार पर पोत भारतीय जहाज की श्रेणी से बाहर हो जाए, तो तुरंत DGS को सूचित किया जाना चाहिए (जैसे – 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दस्तावेज़ प्रस्तुत करना)।	
9	यदि पोत को "बेचना या स्क्रैप करना" हो, तो DGS को पूर्व सूचना देना आवश्यक है।	

10	अस्थायी पास केवल तब जारी किया जा सकता है जब DGS द्वारा रजिस्ट्रार को प्राधिकृत किया गया हो।	
11	यदि किसी पंजीकृत पोत का स्थानांतरण विक्रय के माध्यम से किया जा रहा हो और उसका मूल्य मौद्रिक न होकर कोई अन्य हो, और यदि रजिस्ट्रार को उस पर संदेह हो, तो मामला DGS को उचितता की जांच हेतु भेजा जाएगा।	
12	सभी बिक्री / स्वामित्व परिवर्तन की सूचनाएं DGS को दी जानी चाहिए।	
13	कंपनी के नाम में परिवर्तन की सूचना DGS को देना आवश्यक है।	
14	हर महीने के पहले दिन नए जोड़े गए और हटाए गए जहाजों का विवरण DGS को भेजा जाना चाहिए।	
15	मछली पकड़ने / नौकायन वाले जहाजों के पंजीकरण का विवरण हर महीने के पहले कार्यदिवस को DGS को भेजा जाना चाहिए।	
16	हर वर्ष 15 जनवरी तक सभी पंजीकृत जहाजों और उनके टन भार का विवरण DGS को रिपोर्ट के रूप में भेजा जाना चाहिए।	
17	DGS को विलोपन प्रमाणपत्र (Deletion Certificate) निर्धारित प्रारूप में भेजना चाहिए जैसा कि परिपत्र संख्या 44 – NT (4) / ISPS / SHIP / 2003 दिनांक 18.02.2007 में वर्णित है।	
18	DGS सर्कुलर संख्या 2 / 2008 के अनुसार, जब भी रजिस्ट्रार द्वारा अस्थायी छूट दी जाती है, उसे अधिसूचित करना आवश्यक है।	

टिप्पणी: चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न / संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रमाणीकरण और मुहर के बिना, इस कार्यालय द्वारा कोई दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।